

अवकाश बचत

प्रकरण संख्या अन्तर्गत धारा

दिनांक आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

9³/₂₂ अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु सज्ज था। अन्तिम अवसर दिया जाता है। RTI की अधि आगामी पेशी तक बगड़ जाती है। पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 14/3/22 को पेश है।

14³/₂₂ अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु सज्ज था। अन्तिम अवसर दिया जाता है। RTI की अधि आगामी पेशी तक बगड़ जाती है। पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 16/3/22 को पेश है।

16³/₂₂ अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण के मूलवाद में राजीनामा पत्रकाराने नो भूका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राथमिक प्राधान्य पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी दिनांक 12/06/20 की अस्थायी निषेधाज्ञा भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निरीति होकर गवर्नर से कप्त होकर गवर्नल कमिश्नर को

